न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 243/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. चसपिन्द्र सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– **वादीगण**

बनाम्

1. मलकीत कौर पत्नी स्व. श्री रुप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री रुप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. मनप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. हरजीत कौर पुत्री स्व. श्री रुप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. मनदीप कौर पुत्री श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. हरमन कौर पुत्री श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :–
वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 7.6.2024

वादीगण सुरेन्द्र कुमार व अन्य ने प्रतिवादीगण मलकीत कौर वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के स्व. दादा रूप सिंह पुत्र श्री मल सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 के.एस.डी. के खाता सं. 150/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.687 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता [illegible] रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के [illegible] नामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने उक्त [illegible] भूमि [illegible] अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में [illegible]रानुसार कर दिया। क्योकि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपने हक व हिस्सा [illegible] कृषि भूमि अन्य चक में प्राप्त कर ली है तथा प्रतिवादी सं. 4 ता 8 की शादी अच्छा दान दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 [illegible] 8 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:–

(क) **वादीगण सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह एवं चसपिन्द्र सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र**

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:45:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमिः–
तहसील संगरिया के चक 7 के.एस.डी. के खाता सं. 150/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.687 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 8 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 9 का जवाब स्टेट पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 7 के.एस.डी. के खाता सं. 150/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श–1 है। साक्ष्य वादी में वादी [illegible] धारा 18 नियम 4 व्य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल [illegible] प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी [illegible] बहस [illegible] के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने सहमति का जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीया ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण के स्व. दादा रूप सिंह पुत्र श्री मल सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 के.एस.डी. के खाता सं. 150/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.687 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण के स्व. दादा रूप सिंह पुत्र श्री मल सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 के.एस.डी. के खाता सं. 150/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.687 है. कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. रूप सिंह पुत्र श्री मल सिंह का नाम कलमजन किया जावे।
नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:45:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 243/2024

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
चसपिन्द्र सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– **वादीगण**

बनाम्

मलकीत कौर पत्नी स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
जसविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
मनप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
हरजीत कौर पुत्री स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
मनदीप कौर पुत्री श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
हरमन कौर पुत्री श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :- 7.6.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजिरी श्री महावीर बैरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण के स्व. दादा रूप सिंह पुत्र श्री मल सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 के.एस.डी. के खाता सं. 150/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.687 है. कृषि भूमि का वादीगण को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. रूप सिंह पुत्र श्री मल सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X....निल ....X.... बाबत् ....X.... निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक** 7.6.24.......... को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया